



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अक्टूबर 2012—आश्विन 20, शक 1934

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल दिनांक 10 अक्टूबर 2012

अधिसूचना क्र. भसंकमं-1675.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा पूर्व में प्रकाशित अधिसूचना क्र. भसंकमं-12-962, दिनांक 25 जुलाई 2012 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 3 अगस्त 2012) को अधिक्रमित करते हुए, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से अधिसूचित करता है:—

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.—(1) यह योजना मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012 कहलाएगी.

(2) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(3) यह योजना मध्यप्रदेश राज्यपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी.

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हैं एवं 18 से 45 वर्ष की आयु के हैं अथवा परिचय पत्रधारी हिताधिकारी के 18 से 45 वर्ष की आयु के परिवार के आश्रित सदस्य हैं.

(ख) परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है.
- (2) नियम का आशय मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2002.
- (3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है.
- (4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.
- (5) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय-पत्रधारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.
- (6) आश्रित से आशय पंजीकृत निर्माण श्रमिक के निम्नानुसार परिवार के सदस्य को आश्रित माना जाएगा—
 - (1) पत्नी अथवा पति (यथा स्थिति अनुसार).
 - (2) अविवाहित पुत्र अथवा पुत्री, जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष हो,
 - (3) आश्रित माता एवं पिता, जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो,
- (7) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित हैं.

(ग) योजना का विवरण एवं पात्रता.—(1) अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए यह योजना होगी, इस योजना का लाभ योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले समस्त परिचय-पत्रधारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य होंगे जिनका चयन शासन के किसी विभाग अथवा एजेन्सी द्वारा संचालित अथवा अधिकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा कौशल विकास केन्द्र अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदायकर्ता (Vocational Training Providers) अथवा प्राधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर (Authorised Training Partners) द्वारा कौशल प्रशिक्षण हेतु किया जाएगा.

(2) पात्रता.—18 से 45 वर्ष की आयु के वैध परिचय-पत्र धारी निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के 18 से 45 वर्ष की आयु के आश्रित सदस्य योजना के लिए पात्र होंगे.

(घ) हिताधिकारी का चयन.—(1) योजना के अन्तर्गत न्यूनतम 6 माह पूर्व से पंजीकृत पात्र हिताधिकारियों एवं उनके आश्रितों का चयन शासन के किसी विभाग द्वारा संचालित अथवा उसके द्वारा अधिकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में पंजीकृत हो अथवा NSDC (राष्ट्रीय कौशल विकास निगम) द्वारा प्राधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर्स (Authorised Training Partners) अथवा किसी विभागीय कौशल विकास केन्द्र अथवा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा मान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदायकर्ता (Vocational Training Providers) द्वारा हिताधिकारी के द्वारा प्रस्तुत निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की आवश्यक जांच के पश्चात् निर्धारित मापदण्ड के अनुसार पात्र पाये जाने पर आवेदक द्वारा प्रशिक्षण हेतु चयनित कौशलियों (SKILLS/TRADES) में से उसके दर्शाये क्रम (PREFERENCE) के अनुसार पात्रता के अनुरूप किया जाएगा.

(2) संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा पात्रता संबंधी परीक्षण के पश्चात् चयनित हिताधिकारियों की सूची अधिकृत अधिकारी को एवं संबंधित विभाग को 15 दिवस में प्रेषित की जाएगी. मण्डल द्वारा अधिकारी द्वारा सूची प्राप्त होने के 15 दिवस में उपर्युक्त का अनुमोदन कर सूची संबंधित संस्थान, प्रशिक्षण प्रदाता, मण्डल एवं संबंधित विभाग को प्रेषित की जाएगी.

(ड) **योजना.**—(1) योजना के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग अथवा शासन के अन्य विभागों द्वारा स्वयं प्रशिक्षण केन्द्र/संचालित कौशल विकास केन्द्रों (एस.डी.सी.) में यदि पंजीकृत परिचय-पत्रधारी निर्माण श्रमिक अथवा उनके परिवार के आश्रित चयनित सदस्यों का संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा कुल उपलब्ध सीटों की 50 प्रतिशत या अधिक सीट आगामी 10 वर्षों तक उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में उपर्युक्तानुसार संख्या में हिताधिकारियों का चयन होने पर उल्लेखित संस्थान को स्थिर लागत (FIXED INFRASTRUCTURE COST) अर्थात् शासन द्वारा निर्धारित अधोसंरचना विकास (भवन) का व्यय मण्डल द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार भुगतान किया जाएगा. स्थिर लागत के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र में भवन/लागत हेतु प्रति प्रशिक्षण केन्द्र अधिकतम रु. 10 लाख तक देय होगा तथा मण्डल के चयनित हिताधिकारियों का प्रशिक्षण एवं अन्य निर्धारित व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जाएगा.

(2) अन्य प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान जिनमें हिताधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जावेगा उनमें हिताधिकारियों का निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क, प्रमाणीकरण शुल्क मण्डल द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार वहन किया जाएगा.

(3) **छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति.**—योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक का चयन होने पर संबंधित कौशल प्रशिक्षण हेतु शासन द्वारा अकुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन की दर से शिष्यवृत्ति का भुगतान किया जाएगा. अन्य आश्रित हिताधिकारियों को कौशल प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर सफल प्रशिक्षणार्थियों हेतु भारत सरकार से यदि प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त होती है तो उसका भुगतान संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान द्वारा किया जायेगा.

(4) **प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान.**—संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को मण्डल के हिताधिकारी का चयन होने पर प्रशिक्षण हेतु निर्धारित शुल्क की राशि मण्डल द्वारा निम्नानुसार सीधे भुगतान की जाएगी. यदि संस्थान किसी विभाग अथवा एजेंसी द्वारा संचालित अथवा अधिकृत है, तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण शुल्क की राशि संबंधित विभाग से प्राप्त अनुमोदन के पश्चात् संस्थान को भुगतान की जायेगी.

(क) प्रवेश के एक माह के उपरांत—कुल देय राशि का 30 प्रतिशत (प्रमाणीकरण शुल्क के अतिरिक्त)

(ख) परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरांत—कुल देय राशि का 30 प्रतिशत तथा प्रमाणीकरण शुल्क.

(ग) प्रवेश प्राप्त कुल हिताधिकारियों के न्यूनतम 70 प्रतिशत को निरंतर व्यवसाय में 3 माह तक कार्यरत रहने (PLACEMENT) के उपरांत—शेष 40 प्रतिशत राशि (किंतु 15 @ प्रति घंटे, प्रति उत्तीर्ण छात्र के मान से केन्द्र शासन से प्राप्त होने वाली राशि का समायोजन अगले प्रशिक्षण के भुगतान के पूर्व किया जाना अनिवार्य होगा.)

(5) **स्थिर लागत का भुगतान.**—(क) शासकीय विभाग जो मंडल के 50 प्रतिशत या अधिक हिताधिकारियों की प्रशिक्षण हेतु आगामी 10 वर्ष हेतु अनुबंध करेंगे उनको प्रशिक्षण संस्थान आई.टी.आई./एस.डी.सी. इत्यादि के लिये स्थिर लागत (निर्माण व्यय) की मदवार जानकारी परिशिष्ट-1 व 2 में मण्डल को प्रेषित की जावेगी. जिसमें भवन निर्माण पूर्णता संबंधी प्रमाण संलग्न होगा.

(ख) उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर देय राशि मण्डल द्वारा निम्नानुसार उल्लेखित चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत संबंधित विभाग को सूचित करते हुए संस्थान को प्रदाय की जावेगी—

(i) **प्रथम किश्त** :—अनुबंध के पश्चात्

(ii) **द्वितीय किश्त** :—पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर.

(6) **आवासीय भत्ता.**—योजना के अन्तर्गत चयनित हिताधिकारी को प्रशिक्षण की अवधि में राज्य शासन अथवा मण्डल द्वारा निर्धारित आवासीय भत्ता निम्न शर्तों के अधीन देय होगा—

1. प्रशिक्षणार्थी संस्थान से 25 किलोमीटर के दायरे से बाहर निवास करता हो.

2. प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को निम्न सीमा में आवासीय भत्ता देय होगा—

क्र.	पाठ्यक्रम अवधि	श्रेणी "ए" के शहरों में	अन्य शहरों में
1	90 घंटे तक	रु. 300	रु. 200
2	91 से 180 घंटे तक	रु. 500	रु. 400
3	181 से 270 घंटे तक	रु. 700	रु. 600
4	270 घंटे से अधिक	रु. 1000	रु. 800

उपरोक्त राशि का भुगतान हिताधिकारी को संबंधित संस्थान के माध्यम से मण्डल द्वारा किया जावेगा.

(7) **प्रमाण-पत्र.**—प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले हिताधिकारी को संबंधित संस्थान द्वारा निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा एवं इस प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित शुल्क संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को मण्डल की ओर से निम्नानुसार अथवा शासन द्वारा यथा संशोधित दर से दिया जावेगा—

क्र.	पाठ्यक्रम अवधि	देय राशि
1	90 घंटे तक	रु. 500
2	91 घंटे से अधिक	रु. 800

योजना की अन्य शर्तें.—

(8) शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (I.T.I.) एवं कौशल विकास केन्द्र (S.D.C.) में मंडल के हिताधिकारियों का चयन होने पर उनके निर्धारित प्रशिक्षण शुल्कों का भुगतान मंडल द्वारा सीधे संबंधित संस्थान/केन्द्र को उसके प्रशासकीय विभाग को सूचित करते हुए योजना अनुसार किया जावेगा. प्रशिक्षण शुल्क में Course Material and Tutition fees सम्मिलित होगा.

(9) **प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का चयन.**—9.1 राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा प्राधिकृत प्रशिक्षण पार्टनर्स (Authorised Training Partners) को मण्डल की योजनान्तर्गत प्रशिक्षण संस्था के रूप में चयन किये जाने हेतु मण्डल द्वारा प्रशिक्षण की दरों के निर्धारण के लिये इच्छुक संस्थानों से वित्तीय निविदायें आमंत्रित की जावेगी.

9.2 तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग से पंजीकृत व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान (Vocational Training Providers) को मण्डल की योजनान्तर्गत प्रशिक्षण संस्था के रूप में चयन किये जाने हेतु मंडल द्वारा इच्छुक संस्थानों एवं केन्द्रों से उनकी तकनीकी स्थिति एवं प्रशिक्षण तथा अन्य शुल्क संबंधी जानकारी सहित तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित किये जायेंगे.

इन प्रस्तावों के आधार पर मण्डल द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने वाले संस्थानों का चयन किया जायेगा तथा चयनित संस्थानों के साथ निर्धारित अनुबंध करते हुए उनमें मण्डल के हिताधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा एवं मण्डल के हिताधिकारियों के प्रशिक्षण शुल्क का भुगतान मण्डल द्वारा योजनानुसार किया जायेगा.

9.3 भारत सरकार अथवा मध्यप्रदेश शासन द्वारा सीधे संचालित अथवा उनके अधीन संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के साथ मण्डल द्वारा अनुबंध करते हुए अनुबंध की शर्तों के अनुरूप हिताधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा.

(10) शासन अथवा उसकी एजेंसी द्वारा संचालित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान में यदि उपलब्ध सीटों में से 50 प्रतिशत से अधिक सीटें मण्डल के हिताधिकारियों के लिए आगामी 10 वर्ष तक सुरक्षित रखे जाने का अनुबंध किया जाता है तो इस स्थिति में संस्थान की अधोसंरचना विकास (भवन) पर व्यय होने वाली स्थिर लागत का भुगतान योजना के अनुसार मण्डल द्वारा संबंधित प्रशासकीय विभाग/एजेंसी को किया जायेगा तथा प्रशिक्षण शुल्क (परिवर्तनीय लागत) का भुगतान संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान को प्रशासकीय विभाग/एजेंसी के अनुमोदन से किया जायेगा.

(11) **भुगतान एवं लेखा.**—कौशल विकास केन्द्र के संचालन में होने वाले व्यय एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाले संपूर्ण व्यय का हिताधिकारीवार विवरण संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान अथवा विभाग द्वारा मण्डल को हिताधिकारी के चयन के पश्चात् इस आशय की जानकारी प्ररूप-1 (अ,ब,स,द) में 15 दिवस की समय सीमा में प्रेषित की जायेगी जिससे यह स्पष्ट होगा कि योजना के अन्तर्गत चयनित प्रशिक्षणार्थी निर्धारित पात्रता रखने वाला मण्डल का पंजीकृत वैध परिचय-पत्र धारी हिताधिकारी अथवा उसके परिवार का आश्रित सदस्य है. उपर्युक्तानुसार प्राप्त जानकारी की वांछित जांच के पश्चात् मण्डल द्वारा भुगतान योजना की शर्तों के अनुसार संस्थान को किया जाएगा. संबंधित संस्थान अथवा विभाग को निर्धारित प्ररूप-2 में नियत अवधि में लेखे एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र मण्डल को प्रेषित करना होंगे. जिसके पश्चात् ही मण्डल द्वारा आगामी राशि/किश्त का भुगतान किया जा सकेगा.

(12) **पर्यवेक्षण.**—प्रशिक्षण कार्यक्रम का पर्यवेक्षण समय-समय पर श्रम विभाग अथवा मण्डल द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा एवं योजना के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक सुझाव अथवा निर्देश लिखित में संबंधित संस्थान को दिये जा सकेंगे. जिनके परिपालन के संबंध में अथवा परिपालन नहीं होने की दशा में कारण बताते हुए संबंधित संस्थान द्वारा जानकारी एक माह की अवधि में संबंधित अधिकारी एवं मंडल को प्रेषित की जायेगी.

(13) **विसंगति का निवारण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के संबंध में अथवा इनके अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल का निर्णय अंतिम होगा.

अजय नेमा, सचिव.

परिशिष्ट-1

जिले का नाम प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम
 स्थान विभाग/एजेन्सी का नाम (जिससे प्रशिक्षण प्रदाता संबद्ध है) संबद्धता
 संबंधी कोड/ क्र. सत्र की अवधि संचालित ट्रेड (कोर्स कोड सहित)
 प्रशिक्षण शुल्क

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित क्षेत्रफल/ अन्य विवरण	वांछित राशि
योग			

संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम
 एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

अप्रेषित

विभाग प्रमुख का नाम, पदनाम
 एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित
 (यदि किसी विभाग से संबद्ध है तो)

टीप —कृपया कार्य का विस्तृत प्राकलन (Estimate) अधिकृत अभियंता से सत्यापित प्रेषित करें.

परिशिष्ट-2

जिले का नाम प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम स्थान

..... विभाग/एजेन्सी का नाम (जिससे प्रशिक्षण प्रदाता संबद्ध है) संबद्धता संबंधी कोड/ क्र.

..... सत्र की अवधि संचालित ट्रेड (कोर्स कोड सहित)

प्रशिक्षण शुल्क

S. No.	Particular of Item (मदवार विवरण)	Measurement (माप)	Quantity (संख्या)	Rate (दर)	Unit (इकाई)	Amount (राशि)
Total						

अग्रेषित

संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम
एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

विभाग प्रमुख का नाम, पदनाम
एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित
(यदि किसी विभाग से संबद्ध है तो)

प्ररूप-1(अ)

जिले का नाम प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम स्थान

विभाग/एजेन्सी का नाम (जिससे प्रशिक्षण प्रदाता संबद्ध है) संबद्धता संबंधी कोड/ क्र.

सत्र की अवधि संचालित ट्रेड (कोर्स कोड सहित)

प्रशिक्षण शुल्क (प्रति प्रशिक्षु)

क्र.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पंजीयन क्र.
योग		

अग्रेषित

संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम
एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

विभाग प्रमुख का नाम, पदनाम
एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित
(यदि किसी विभाग से संबद्ध है तो)

टीप.—एक बैच हेतु एक पत्रक भरा जावे.

प्ररूप-1(ब)
निर्माण श्रमिक हेतु

जिले का नाम प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम
स्थान विभाग/एजेन्सी का नाम (जिससे प्रशिक्षण प्रदाता संबद्ध है)
संबद्धता संबंधी कोड/ क्र. सत्र की अवधि
.संचालित ट्रेड (कोर्स कोड सहित) प्रशिक्षण शुल्क

क्र.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पंजीयन क्र.	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/ प्रोत्साहन की राशि	आवासीय/परिवहन भत्ता
योग				

अग्रेषित

संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम
एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

विभाग प्रमुख का नाम, पदनाम
एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित
(यदि किसी विभाग से संबद्ध है तो)

टीप —एक बैच हेतु एक पत्रक भरा जावे.

प्ररूप-1(स)

निर्माण श्रमिक के परिवार के आश्रित सदस्य हेतु

जिले का नाम प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम
स्थान विभाग/एजेन्सी का नाम (जिससे प्रशिक्षण प्रदाता संबद्ध है)
संबद्धता संबंधी कोड/ क्र. सत्र की अवधि
.संचालित ट्रेड (कोर्स कोड सहित) प्रशिक्षण शुल्क

क्र.	प्रशिक्षणार्थी का नाम	निर्माण श्रमिक से संबंध	निर्माण श्रमिक का पंजीयन क्र.	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/ प्रोत्साहन की राशि	आवासीय/परिवहन भत्ता
योग					

अग्रेषित

संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम
एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

विभाग प्रमुख का नाम, पदनाम
एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित
(यदि किसी विभाग से संबद्ध है तो)

टीप —एक सत्र हेतु एक पत्रक भरा जावे.

प्ररूप-1(द)

सफल प्रशिक्षणार्थियों हेतु

जिले का नाम प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम
 स्थान विभाग/एजेन्सी का नाम (जिससे प्रशिक्षण प्रदाता संबद्ध है) संबद्धता
 संबंधी कोड/ क्र. सत्र की अवधि संचालित ट्रेड (कोर्स
 कोड सहित) प्रशिक्षण शुल्क

क्र.	सफल प्रशिक्षणार्थी का नाम	आश्रित होने की दशा में निर्माण श्रमिक से संबंध	निर्माण श्रमिक का पंजीयन क्र.	ट्रेड का नाम	प्रमाणीकरण हेतु राशि
------	------------------------------	---	----------------------------------	--------------	-------------------------

योग

अग्रेषित

संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम
 एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

विभाग प्रमुख का नाम, पदनाम
 एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित
 (यदि किसी विभाग से संबद्ध है तो)

टीप — एक सत्र हेतु एक पत्रक भरा जावे.

उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्ररूप-2

जिले का नाम प्रशिक्षण प्रदाता संस्था का नाम स्थान
 विभाग/एजेन्सी का नाम (जिससे प्रशिक्षण प्रदाता संबद्ध है) संबद्धता संबंधी
 कोड/ क्र. सत्र की अवधि संचालित ट्रेड (कोर्स कोड
 सहित) प्रशिक्षण शुल्क

संचालित ट्रेड	छात्रों की संख्या	प्रशिक्षण शुल्क	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/ प्रोत्साहन राशि	आवासीय/परिवहन भत्ता	प्रमाणीकरण शुल्क
------------------	----------------------	-----------------	---	------------------------	---------------------

योग

कुल प्राप्त राशि—

व्यय की गई कुल राशि—

शेष राशि—

प्रशिक्षण हेतु व्यय राशि—

अधोसंरचना पर व्यय राशि*—

अग्रेषित

संस्था प्रमुख का नाम, पदनाम
 एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

विभाग प्रमुख का नाम, पदनाम
 एवं हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित
 (यदि किसी विभाग से संबद्ध है तो)

टीप — एक बैच हेतु एक पत्रक भरा जावे.

*विस्तृत मदवार विवरण दें.